



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 573]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 13, 2010/अश्विन 21, 1932

No. 573]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 13, 2010/ASVINA 21, 1932

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2010

सा.का.नि. 833(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के लिए एतद्वारा निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी किया जाता है :—

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की प्रथम अनुसूची के भाग-ग, खंड II के अंतर्गत क्रम संख्या 6 पर निम्नलिखित प्रविष्टि हटा दी जाए :—

(रुपये)*

क्रमांक	पद	वर्तमान वेतनमान*	संशोधित वेतनमान*	संगत पे बैंड एवं ग्रेड पे*		रिपोर्ट का पैरा संख्या
				पे बैंड	ग्रेड पे*	
1	2	3	4	5	6	7
6.	सहायक श्रेणी-II कलकत्ता मिट	3050-4590	4500-7000	पी. बी. 1	2800	7.15.8

[फा. सं. 15(17)-ई III(बी)/2010]

मधुलिका पी. सुकुल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—

1. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 को 29 अगस्त, 2008 की सं. सा.का.नि. 622(अ) के तहत अधिसूचित किया गया था।
2. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 में पहला संशोधन 12 मार्च, 2009 की सं. सा.का.नि. 161(अ) के तहत किया गया था।
3. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 में दूसरा संशोधन 16 जुलाई, 2009 की सं. सा.का.नि. 527(अ) के तहत किया गया था।
4. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 में तीसरा संशोधन 28 जुलाई, 2009 की सं. सा.का.नि. 552(अ) के तहत किया गया था।
5. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 में चौथा संशोधन 9 सितम्बर, 2009 की सं. सा.का.नि. 650(अ) के तहत किया गया था।
6. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 में पांचवा संशोधन 21 अक्टूबर, 2009 की सं. सा.का.नि. 773(अ) के तहत किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2010

G.S.R. 833(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the following Corrigenda to Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 is hereby issued :—

The following entry at Sl. No. 6 under the Part-C, Section II of the First Schedule to the CCS (Revised Pay) Rules, 2008, pertaining to Department of Economic Affairs, Ministry of Finance shall be deleted :—

(In Rupees)*

Sl. No.	Post	Present Scale*	Revised Pay Scale*	Corresponding Pay Band & Grade Pay*		Para No. of the Report
				Pay Band	Grade Pay*	
1	2	3	4	5	6	7
6.	Assistant Class-II in Calcutta Mint	3050—4590	4500—7000	PB-1	2800	7.15.8

[F. No. 15(17)-E. III(B)/2010]

MADHULIKA P. SUKUL, Jt. Secy.

Foot Note :—

1. The Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 were notified *vide* No. G.S.R. 622(E), dated the 29th August, 2008.
2. First modification to the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 was done *vide* No. G.S.R. 161(E), dated the 12th March, 2009.
3. Second modification to the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 was done *vide* No. G.S.R. 527(E), dated the 16th July, 2009.
4. Third modification to the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 was done *vide* No. G.S.R. 552(E), dated the 28th July, 2009.
5. Fourth modification to the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 was done *vide* No. G.S.R. 650(E), dated the 9th September, 2009.
6. Fifth modification to the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 was done *vide* No. G.S.R. 773(E), dated the 21st October, 2009.